

मुकदमों का विवरण

राजेश जैन बनाम.

अजय सिंह

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 3126) अक्टूबर 09, 2023

[अरविंद कुमार और एस. वी. एन. भाटी, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: चूंकि चेक का निष्पादन, निश्चित रूप से, विवाद के अधीन नहीं है, इसलिए विचार करने के लिए सीमित प्रश्न यह है कि (i) क्या अभियुक्त को अपने 'साक्ष्य के बोझ' का निर्वहन करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि निचली अदालतों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि एस द्वारा प्रदान की गई कानून की धारणा। 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का खंडन किया गया था।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881 -s.139**-प्रतिवादी-अभियुक्त पर मुकदमा चलाया गया। **138** एन. आई. अधिनियम-विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को बरी कर दिया-उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश को बरकरार रखा-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: जिस तरह से नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना करने के लिए आगे बढ़े हैं-एक बार यू/एस अनुमान। 139 वास्तव में, न्यायालयों को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए था कि चेक वास्तव में एक ऋण/दायित्व के निर्वहन में जारी किया गया था-तब पूरा ध्यान अनिवार्य रूप से अभियुक्त द्वारा स्थापित मामले पर स्थानांतरित करना होगा, क्योंकि अनुमान को सक्रिय करने का प्रभाव अभियुक्त पर साक्ष्य का बोझ स्थानांतरित करने का प्रभाव पड़ता है-तब जांच की प्रकृति यह देखने के लिए होगी कि क्या अभियुक्त ने अनुमान का खंडन करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है-तत्काल मामले में, जब अदालतें यह निष्कर्ष निकालती हैं कि हस्ताक्षर किए गए थे, तो न्यायालय को दो प्रश्नों में से किसी एक की जांच करनी चाहिए थी (उस तरीके के आधार पर जिसमें अभियुक्त ने अनुमान का खंडन करने के लिए चुना है): क्या अभियुक्त ने यह साबित करने और निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए किसी भी बचाव साक्ष्य का नेतृत्व किया है कि चेक जारी करने के समय कोई ऋण/दायित्व मौजूद नहीं था-खंडन साक्ष्य के अभाव में जांच का नेतृत्व किया जाएगा: क्या अभियुक्त ने 'विशेष 789' का उल्लेख करके संभावनाओं की अधिकता द्वारा ऋण/देयता के अस्तित्व को साबित किया है?

788

राजेश जैन बनाम अजय सिंह 790

मामले की परिस्थितियाँ-विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण में विकृति थी क्योंकि इसने यह प्रश्न तैयार किया था कि क्या शिकायतकर्ता और विचाराधीन चेक के लिए कानूनी रूप से वैध और प्रवर्तनीय ऋण मौजूद है (उदा. सी. डब्ल्यू. आई./ए.) उक्त देयता/ऋण के निर्वहन में जारी किया गया था '-जब

प्रश्न की प्रारंभिक रचना स्वयं गलत होती है, तो कोई भी परिणाम सही होने की उम्मीद नहीं कर सकता है-अभियुक्त पर आरोप लगाने के बजाय शिकायतकर्ता पर आरोप लगाया गया है-उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता की ओर से सबूत की कमी पर भी सवाल उठाया है ताकि वह अभियुक्त को ऋण देने के उसके आरोप का समर्थन कर सके, जब उसे इसके बजाय अभियुक्त द्वारा स्थापित मामले से खुद को संबंधित करना चाहिए था और क्या उसने यह साबित करके अपने साक्ष्य के बोझ का निर्वहन किया था कि चेक जारी करने के समय कोई ऋण/दायित्व मौजूद नहीं था-रिकॉर्ड पर विचार करने पर, अभियुक्त द्वारा स्थापित मामला विरोधाभासों से भरा हुआ था-उत्तर 138 एन. आई. अधिनियम की अनुमति है और प्रतिवादी-अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है।[पारस 55,56,57,62,63]

साक्ष्य अधिनियम, **1872**-परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881**-प्रमाण और अनुमानों का भार:अवधारणात्मक आधार-चर्चा की गई और विस्तृत किया गया।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881 -s.139**-अनुमान का प्रभाव और प्रमाण की जिम्मेदारी का स्थानांतरण-चर्चा की गई।

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

एमएस. दलबीर कौर और ओआरएस. वी.पंजाब राज्य (1976) 4 एससीसी 158:[1977] 1 एससीआर 280; गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोयल (2022) 11 एससीसी 705; के. भास्करन बनाम शंकरन वैद्यन बालन (1999) 7 एससीसी 510:[1999] 3 पूरक।एस. सी. आर. 271; कुंदनलाल बनाम अभिरक्षक निकासी संपत्ति ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1316; G.Vasu बनाम सैयद यासीन ए. आई. आर. 1987 ए. पी. 139; भारत बैरल बनाम अमीन चंद

(1999) 3 एससीसी 35:[1999] 1 एस. सी. आर. 704; कुमार एक्सपोर्ट बनाम शर्मा एक्सपोर्ट (2009) 2 एस. सी. सी. 513:[2008] 17 एस. सी. आर. 572; बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार (2019) 4 एस. सी. सी. 197:[2019] 2 एससीआर 24; रंगप्पा बनाम मोहन एयर 2010 एससी 1898

:[2010] 6 एस. सी. आर. 507; बसलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 1983:

[2019] 6 एस. सी. आर. 555-संदर्भित।

साक्ष्य के नियम-आधुनिक कानून की छिपी हुई उत्पत्ति-जॉन हेनरी विगमोर-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 3126।

2020 के सी. आर. एम. ए. No.148 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से

युद्धवीर दलाल, सुरेंद्र सिंह, हिमांशु सिंगरोहा, सुश्री सुनैना, कैलास बाजीराव औताडे, अधिवक्ता।
उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश अरविंद कुमार, जे।

1. छुट्टी मंजूर की गई।

2. प्रतिवादी-अभियुक्त पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में 'एन. आई. अधिनियम') की धारा 138 के तहत मुकदमा चलाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 1 को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-शिकायतकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और बरी करने के आदेश को बरकरार रखा। निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों को चुनौती देते हुए, शिकायतकर्ता ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

शिकायतकर्ता का मामला

3. कहा जाता है कि श्री अजय सिंह (प्रतिवादी-अभियुक्त) ने अपनी पत्नी के साथ अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता (श्री राजेश जैन) से 01.03.2014 पर पैसे उधार देने के अनुरोध के साथ संपर्क किया था। कहा जाता है कि इस बैठक में श्री सिंह की साली सुश्री गीता सुनार ने सहायता की थी, जो लगभग 15 वर्षों से श्री राजेश जैन के अधीन एक कर्मचारी के रूप में काम कर रही थीं। श्री राजेश जैन, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने रु। उस दिन 6 लाख और उसके बाद वास्तविक राशि में और राशि उधार दी है।

1 सीआरएल में 17.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश। 2017 की शिकायत संख्या 221

2 2020 की आपराधिक अपील No.148 को गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2021 के निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

राजेश जैन बनाम अजय सिंह [अरविंद कुमार, जे.] 792

यह विश्वास कि श्री अजय सिंह समय पर पुनर्भुगतान के अपने वादे का सम्मान करेंगे और सहमति के अनुसार ब्याज के साथ उधार ली गई राशि को वापस कर देंगे।

4. प्रतिवादी-अभियुक्त सहमत समय-सीमा के अनुसार भुगतान करने में विफल रहा। अपने पैसे की वसूली के लिए शिकायतकर्ता के प्रयासों को टालने की रणनीति का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि आरोपी ने अपने भुगतान दायित्वों से बचने के इरादे से शिकायतकर्ता को बिना नोटिस दिए अपना सेलुलर टेलीफोन नंबर बदल दिया था। यह केवल वर्ष 2017 में है कि शिकायतकर्ता आरोपी का पता लगाने में कामयाब रहा-जिस बिंदु पर, आरोपी ने माफी मांगी और तीन महीने के भीतर ब्याज के साथ उधार ली गई राशि को चुकाने का वादा किया। अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को सूचित किया था कि वह नेपाल में अपनी दो भूखंडों को बेचकर, व्यक्तिगत ऋण लेकर और 7 वें वेतन आयोग के बकाया से जो उसे मिलना था, अपने बकाया का भुगतान करने के लिए धन जुटाएगा।

5. एक बार फिर आरोपी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। वह अपने आवासीय पते पर नहीं मिला। लगभग 7 महीने तक सफलतापूर्वक खुद को छिपाने के बाद, शिकायतकर्ता ने उसे एक नए आवासीय पते पर पाया। सीधे टकराव पर, कहा जाता है कि आरोपी ने बकाया राशि के आंशिक पुनर्भुगतान के लिए रुपये की राशि के लिए एक पोस्ट-डेटेड चेक No.163044 (दिनांक 19.10.2017) जारी किया था। अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि बकाया राशि का भुगतान दिसंबर 2017 के महीने में दूसरा चेक जारी करके किया जाएगा।

6. इसकी प्रस्तुति पर, चेक को 'फंड्स इंस्फी साइट' के समर्थन के साथ वापस कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से 26.10.2017 पर एक मांग नोटिस जारी किया और आरोपी से चेक राशि (रु। 6,95,204) और 15 दिनों के भीतर किए गए अन्य खर्च। चूंकि मांग का पालन नहीं किया गया था, इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जे. एम. एफ. सी.), जींद के न्यायालय के समक्ष 29.11.2017 पर धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी।

विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

7. निचली अदालत ने इस घटना का संज्ञान लिया, आरोपी को तलब किया और आरोप का नोटिस जारी किया। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

8. अपने मामले के समर्थन में, शिकायतकर्ता ने खुद को सी. डब्ल्यू. -1. एस. बी. आई., जींद शाखा कार्यालय में एक बैंक अधिकारी श्री गुलाब सिंह से पूछताछ की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

सी. डब्ल्यू.-2 के रूप में और सुश्री गीता सुनार सी. डब्ल्यू. 3 के रूप में। शिकायतकर्ता ने संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य 3 भी प्रस्तुत किए थे, जिसमें विचाराधीन चेक, चेक वापसी ज्ञापन, बैंक पासबुक की प्रति, मांग सूचना, डाक रजिस्टर, शिकायतकर्ता के खातों का विवरण और चेक लौटाया गया

रजिस्टर शामिल था।9. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के तहत अपने बयान में आरोपी ने शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपये तक के पैसे उधार लेने की बात स्वीकार की है। वह कुछ ब्याज राशि का भुगतान करने की बात स्वीकार करता है और उसने दलील दी है कि वह शेष राशि का भुगतान नहीं कर सकता क्योंकि शिकायतकर्ता ने अधिक राशि की मांग करना शुरू कर दिया था। वह आगे कानूनी नोटिस प्राप्त करने की बात स्वीकार करता है लेकिन किसी भी चेक को जारी करने से इनकार करता है।10. अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दिया गया है।11. अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने पर, विचारण न्यायालय ने यह आदेश वापस कर दिया कि अभियुक्त दोषी नहीं था।

12. ट्रायल कोर्ट ने पाया कि (i) शिकायतकर्ता ने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अनिवार्य तथ्यों को साबित करने के अपने प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन किया था; (ii) चेक पर हस्ताक्षर। सी. डब्ल्यू. 1/ए) को अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया था और इसलिए, इसने एन. आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत वैधानिक धारणा को उचित रूप से उठाया। तब इसने ठीक ही कहा कि इस धारणा का खंडन करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है और कहा कि एक 'संभावित बचाव' को उठाकर जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना था जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करेगा।

13. इसके बाद इसने निर्धारण के लिए बिंदु को इस प्रकार तैयार किया:

“निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न शेष है कि क्या शिकायतकर्ता और विचाराधीन चेक के लिए कानूनी रूप से वैध और लागू करने योग्य ऋण मौजूद है (उदा. सी. डब्ल्यू. आई./ए) उक्त देयता/ऋण के निर्वहन में जारी किया गया था?”14. ट्रायल कोर्ट ने इस मुद्दे का नकारात्मक जवाब दिया। इसने अभिनिर्धारित किया कि शिकायतकर्ता उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा था। यह.

3 Ex.CW1/A-Cheque No.163044 dt.19.10.2017 Ex.CW1/B-Cheque मेमो डी. टी. वापस करें।01.11.2017 Ex.CWA/C-शिकायतकर्ता की बैंक पासबुक की प्रति Ex.CW1/D-Legal अधिसूचना दिनांक।26.10.2017

Ex.CW1/E-Postal रसीद डी. टी.28.10.2017

शिकायतकर्ता डॉ. राजेश जैन के खाते का <आईडी3 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.10.2017 से 31.12.2017 एक्स. सी. डब्ल्यू. 2/चेक बोनस रजिस्टर 793 की 2-प्रति

राजेश जैन बनाम अजय सिंह [अरविंद कुमार, जे.] 794

यह देखा गया है कि अभियुक्त के नेतृत्व में बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ता के मामले की सच्चाई के बारे में संदेह पैदा किया है।

15. विचारण न्यायालय का निष्कर्ष निम्नलिखित आधारों पर आधारित था:

(i) वह कानूनी नोटिस [उदा. सी. डब्ल्यू. 1/डी. दिनांकित 26.10.2017 एक वैध कानूनी नोटिस नहीं था क्योंकि इस पर शिकायतकर्ता या उसके वकील द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।(ii)

शिकायत, कानूनी नोटिस के साथ-साथ एफ़ी डेविट साक्ष्य में, शिकायतकर्ता उस तारीख, महीने और वर्ष का उल्लेख करने में विफल रहा है जिस पर उसने ऋण के लिए विभिन्न राशियों का अग्रिम भुगतान किया था।

(iii) अभिलेख पर साक्ष्य इंगित करता है कि शिकायतकर्ता धन उधार देने के व्यवसाय में है। चूंकि उनके पास पंजाब ऋणदाता पंजीकरण अधिनियम, 1938 5 (धन ऋणदाता अधिनियम) के तहत कोई वैध लाइसेंस/पंजीकरण 4 नहीं है, इसलिए वह धन ऋणदाता अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अग्रिम धन की वसूली के लिए मुकदमा नहीं कर सकते थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नंदा बनाम नंदकिशोर 6 के मामले में 'किसी भी मुकदमे में' वाक्यांश की व्याख्या की है, जैसा कि धारा 3 में पाया गया है, व्यापक रूप से, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत को भी शामिल करने के लिए। उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि शिकायत एक अप्रवर्तनीय दावे के संबंध में की गई है।

(iv) धारा 138 में निर्धारित प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया है क्योंकि कानूनी नोटिस समय से पहले जारी किया गया है, शिकायतकर्ता को चेक रिटर्न मेमो का नोटिस मिलने से पहले ही। चेक वापसी ज्ञापन पर रिफिल की तारीख 1.11.2017 है और जिस तारीख को कानूनी नोटिस जारी किया गया था वह 26.10.17 है। कानूनी नोटिस तब तक जारी नहीं किया जा सकता था जब तक कि चेक का अपमान नहीं किया गया था। (v) शिकायतकर्ता का बयान संदिग्ध है क्योंकि चेक, निश्चित रूप से, बकाया राशि के आंशिक भुगतान में जारी किया गया था। शिकायत या मांग नोटिस में कहीं भी शिकायतकर्ता ने आरोपी को दी गई कुल राशि का खुलासा नहीं किया है। अदालत ने इसे काफी आश्चर्यजनक पाया

4 धारा 4 (2) में कहा गया है कि कोई भी साहूकार अग्रिम ऋण का व्यवसाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उप-धारा (1) के तहत खुद को पंजीकृत नहीं कर लेता।

5 विधि आदेश 1968 का अनुकूलन-पृष्ठ 75 6 (2010) एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम्बे 54 देखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

कि शिकायतकर्ता, एक हड्डी रोग सर्जन, किसी भी औपचारिक समझौते/अग्रिम ऋण की स्वीकृति के बिना, आरोपी, एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भारी मात्रा में ऋण अग्रिम करेगा।

16. शिकायतकर्ता को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी गई थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

17. अभिलेख पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर, उच्च न्यायालय ने अपील में कोई योग्यता नहीं पाई है और निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया है कि अभियुक्त ने एन. आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत उठाए गए वैधानिक

अनुमान का खंडन करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। तब एक बार फिर शिकायतकर्ता को यह साबित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के संबंध में जारी किया गया था और शिकायतकर्ता यह साबित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहा था कि चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के संबंध में जारी किया गया था।

18. उच्च न्यायालय के फैसले में तथ्यों के अंतर्निहित आधार को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

18.1 धारा 139 के तहत धारणा का खंडन अपीलार्थी को उसकी प्रतिपरीक्षा में प्रश्न पूछकर और Cr.P.C की धारा 313 के तहत दर्ज बयान में पाई गई आपत्तिजनक परिस्थितियों को समझाकर किया गया था।

18.2 अपीलार्थी की प्रतिपरीक्षा से पता चलता है कि उसने 1 मार्च, 2014 से और उसके बाद कई तारीखों पर अभियुक्त को ऋण दिया था। लगभग तीन साल बाद केवल 19.10.2017 पर ही चेक आरोपी को सौंप दिया गया। यदि अपीलार्थी ने विभिन्न तिथियों पर ऋण दिया था, तो उसने ऐसे ऋणों के प्रमाण के लिए कुछ दस्तावेज बनाए रखे होंगे। वह 01.03.2014 के बाद उधार दी गई विशिष्ट सी राशि के बारे में चुप रहे हैं और शिकायतकर्ता को ऋण राशि को साबित करने के लिए साक्ष्य खातों, खाता-बही, विवरण में निविदा देनी चाहिए थी। अभियुक्त का रुख था कि उसने शिकायतकर्ता से पैसे उधार लिए थे, लेकिन शिकायतकर्ता हर महीने बकाया राशि में 1 लाख रुपये की वृद्धि करेगा। इसलिए, प्रतिवादी का रुख शिकायतकर्ता के मामले की तुलना में अधिक संभावित प्रतीत होता है। 18.3 शिकायत, मांग नोटिस और एफ. आई. डी. ए. वी. टी. में इस बात का लगातार आरोप है कि ऋण 795 के भुगतान के अधीन दिया गया था।

राजेश जैन बनाम अजय सिंह [अरविंद कुमार, जे.] 796

मूल राशि पर ब्याज। शिकायतकर्ता को रुपये की चेक राशि पर पहुंचने के लिए उधार ली गई मूल राशि और उस पर लगाए गए ब्याज का उल्लेख करना चाहिए था। चूंकि मूल राशि और प्रभारित ब्याज का विभाजन तीनों दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, इसलिए शिकायत में भौतिक विवरण नहीं है और शुरुआत में ही खारिज किए जाने योग्य है।

18.4 जहाँ तक निचली अदालत का यह निर्णय है कि शिकायतकर्ता धन ऋणदाता अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं होने के कारण शिकायत कायम रखने योग्य नहीं थी, उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस तरह के भुगतान का मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा जब शिकायतकर्ता यह साबित करने में सफल रहा होगा कि चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के संबंध में जारी किया गया था।

19. हमने श्री राजेश जैन, अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हुए और श्री युद्धवीर दलाल, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील को सुना है।

20. श्री राजेश जैन ने व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होते हुए तर्क दिया है कि अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करते हुए नीचे दिए गए न्यायालयों के दृष्टिकोण में एक गंभीर बाधा है। उनके अनुसार, चेक पर हस्ताक्षर विवाद के दायरे में नहीं होने के कारण, और आरोपी के खिलाफ धारा 139 के तहत अनुमान लगाए जाने के कारण, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चले कि आरोपी ने इस धारणा का खंडन करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। उन्होंने बरी किए जाने के आदेशों में दिए गए तर्क की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि निचली अदालतों ने गलती से सबूतों की सराहना करने के लिए आगे बढ़े जैसे कि शिकायतकर्ता पर यह साबित करने की जिम्मेदारी थी कि 'चेक ऋण के निर्वहन में जारी किया गया था'। एक बार अनुमान लागू होने के बाद, ऋण/दायित्व के अस्तित्व को साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर निर्भर करती है और अदालतें किसी भी दृष्टिकोण से शिकायतकर्ता के मामले पर संदेह नहीं कर सकती थीं। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी को 'संभावित बचाव' के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बचाव में स्थापित मामला विसंगतियों से भरा था और किसी भी सबूत से रहित था। तदनुसार, वह प्रार्थना करता है कि समवर्ती मामलों को दरकिनार कर दिया जाए और अभियुक्त के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश पारित किया जाए।

21. विद्वान वकील श्री युद्धवीर दलाल ने तर्क दिया है कि यह न्यायालय, विशेष अनुमति द्वारा एक अपील की सुनवाई करते समय, समवर्ती निर्णयों के खिलाफ हस्तक्षेप करने में बेहद धीमा होना चाहिए। केवल इसलिए कि साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर एक और दृष्टिकोण लिया जा सकता है, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है; गुण-दोष पर, वह तर्क देता है कि अभियुक्त ने निर्धारित बोझ का निर्वहन किया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

एक 'संभावित रक्षा' को बढ़ाना, जो 'संभावनाओं की प्रधानता' के मानक को पूरा करता है। उन्होंने यह तर्क देने के लिए कुछ निर्णयों पर भरोसा किया है कि किसी भी खंडन साक्ष्य का नेतृत्व किए बिना भी अनुमान का खंडन किया जा सकता है। इस संबंध में, वह प्रस्तुत करता है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व को गलत साबित करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भरोसा करना आरोपी के लिए हमेशा खुला है। वह प्रस्तुत करता है कि शिकायत में सामग्री विवरण की कमी है-यह कुल ऋण राशि, किस तारीख को ऋण दिया गया था, किस आधार पर रुपये की राशि की मांग की गई थी, यह बताने में विफल रहता है। 6,95,204-। अन्य परिस्थितियों के साथ इन तथ्यों ने न्यायसंगत रूप से अदालत के मन में शिकायतकर्ता के मामले की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा कर दिया है और इसलिए, नीचे की अदालतों को शिकायतकर्ता के बयान पर अविश्वास करने में न्यायसंगत ठहराया गया था। इन आधारों पर वह अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

22. हमने प्रचार किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

विचार के लिए प्रश्न

23. चूँकि चेक का निष्पादन, निश्चित रूप से, विवाद के अधीन नहीं है, इसलिए विचार करने के लिए सीमित प्रश्न यह है कि (i) क्या अभियुक्त को अपने 'साक्ष्य के बोझ' का निर्वहन करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि निचली अदालतों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि धारा 139 द्वारा प्रदान की गई कानून की धारणा का खंडन किया गया था?

23.1 यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रत्यावेदन में पाया जाता है, तो विचार करने के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या शिकायतकर्ता ने धारा 139 के तहत अनुमान द्वारा प्रदान किए गए कृत्रिम बल के अभाव में, स्वतंत्र रूप से उचित संदेह से परे साबित किया है कि चेक ऋण/देयता के निर्वहन में जारी किया गया था? बिंदु संख्या (ii) से निपटने की आवश्यकता केवल तभी उत्पन्न होगी जब बिंदु संख्या (i) का उत्तर संबंधात्मक में दिया जाए। इसलिए, हम विचार के लिए बिंदु (i) पर विचार करेंगे।

लागू होने वाले कानूनी सिद्धांत

अनुच्छेद 136 का दायरा बनाम तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष

24. सीमा पर, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस अपील में चुनौती दो न्यायालयों द्वारा समवर्ती निर्णयों के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग करती है। भारत के संविधान 797 के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील का दायरा

राजेश जैन बनाम अजय सिंह [अरविंद कुमार, जे.] 798

समवर्ती फाइंडिंग के खिलाफ अच्छी तरह से तय किया गया है। एमएसटी में। दलबीर कौर और ओआरएस बनाम। पंजाब राज्य (1976) 4 एस. सी. सी. 158, यह न्यायालय, एक विचार पर कई प्राधिकरणों ने विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निम्नानुसार विभाजित किया है:

(1) कि यह न्यायालय साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भले ही वह साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण ले।

(2) कि न्यायालय आम तौर पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन या समीक्षा नहीं करेगा, जब तक कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन कानून या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित नहीं होता है या रिकॉर्ड की त्रुटि, साक्ष्य के गलत पढ़ने या साक्ष्य के साथ असंगत नहीं होता है, उदाहरण के लिए, जहां नेत्र साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत है और इसी तरह।

(3) कि न्यायालय उच्च न्यायालय की राय के स्थान पर अपनी राय रखने की दृष्टि से साक्ष्य की विश्वसनीयता में प्रवेश नहीं करेगा

(4) कि न्यायालय वहाँ हस्तक्षेप करेगा जहाँ उच्च न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या निष्पक्ष सुनवाई की अवहेलना करते हुए तथ्य के निष्कर्ष पर पहुँच गया है या कानून या

प्रक्रिया के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय हुआ है।

(5) यह न्यायालय वहाँ भी हस्तक्षेप कर सकता है जहाँ सिद्ध तथ्यों पर विधि के गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं या जहाँ उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं और बिना किसी साक्ष्य के आधारित हैं: सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम को निर्धारित करना बहुत कठिन पंथ है, लेकिन ऊपर उल्लिखित सिद्धांत और इस न्यायालय के अधिकारियों में उद्धृत किए गए सिद्धांत इस न्यायालय को विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपीलों पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। इस प्रकार, विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील में, यह न्यायालय सुनवाई में यह निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के साथ उच्च न्यायालय के साक्ष्य और निर्णय की जांच करता है कि उच्च न्यायालय ने ऊपर बताए गए सिद्धांतों का पालन किया है या नहीं। जहाँ न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं किया है और एक सही दृष्टिकोण अपनाया है और अभियोजन मामले को ध्वस्त करने वाले साक्ष्य में हड़ताली विशेषताओं की अनदेखी या अनदेखी नहीं की है,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उच्च न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों में साक्ष्य की सराहना पर लाए गए तथ्य को बाधित नहीं किया जाएगा।

एन. आई. अधिनियम की धारा **138**-आवश्यक सामग्री

25. अनिवार्य रूप से, चेक के अपमान से संबंधित सभी मुकदमों में, अदालतों से इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या अधिनियम की धारा 138 में गिने गए अपराध के घटकों को पूरा किया गया है और यदि ऐसा है, तो क्या आरोपी अधिनियम की धारा 139 द्वारा परिकल्पित वैधानिक धारणा का खंडन करने में सक्षम था।

26. गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोयल 7 के मामले में, इस अदालत ने इस मामले को खोल दिया है।

निम्नलिखित संरचना में एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आधार बनाने वाले तत्व:

(1) उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान के लिए बैंकर के साथ रखे गए खाते में एक व्यक्ति द्वारा चेक का आहरण;

(i) किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए चेक निकाला जा रहा है;

(iii) उस खाते से भुगतान करने के लिए बैंक को चेक प्रस्तुत करना,

(iv) ऋण लेने वाले बैंक द्वारा भुगतान न किए गए चेक की वापसी या तो इसलिए कि उस खाते में जमा की गई राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या यह कि यह राशि से अधिक है।

(v) चेक की वापसी के संबंध में बैंक से जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चेक के ड्रॉअर को राशि के भुगतान की मांग करने वाले प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा नियत समय पर एक नोटिस; और

(vi) चेक का ड्रॉअर नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता या धारक को नियत समय में राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

27. के. भास्करन बनाम शंकरन वैद्यन बालन 8 में इस न्यायालय ने

ऑफ-एन्से के घटक तत्वों को काफी समान शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया:

7 (2022) 11 एससीसी 705

8 (1999) 7 एससीसी 510 799

राजेश जैन बनाम अजय सिंह [अरविंद कुमार, जे.] 800

“14. अधिनियम की धारा 138 के तहत छूट केवल कई अधिनियमों के संयोजन के साथ पूरी की जा सकती है। निम्नलिखित कार्य हैं जो उक्त ऑफ एन्से के घटक हैं: (1) चेक निकालना, (2) बैंक को चेक प्रस्तुत करना, (3) निकासी बैंक द्वारा भुगतान नहीं किए गए चेक को लौटाना, (4) चेक राशि के भुगतान की मांग करते हुए चेक लेने वाले को लिखित रूप में नोटिस देना, (3) निकासी करने वाला नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है।” 28. एफ. आई. वी. (5) अधिनियम, जैसा कि के. भास्करन के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित किया गया है, आम तौर पर रिकॉर्ड के मामले हैं और शिकायत दर्ज करने और अभियोजन शुरू करने के चरण में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होंगे। उपरोक्त अधिनियमों के अलावा, यह भी साबित किया जाना है कि चेक ऋण या देयता के निर्वहन में जारी किया गया था (गिम्पेक्स के मामले में सामग्री संख्या (ii))। इस तथ्य को साबित करने का भार, अन्य तथ्यों की तरह, आम तौर पर शिकायतकर्ता पर पड़ता है। हालाँकि, एन. आई. अधिनियम की धारा 139 में एक अनुमानित उपकरण की शुरुआत के माध्यम से, संसद ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 में बताए गए सामान्य मानदंड को पार करने की कोशिश की है और इस तरह आरोपी पर इसे साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी है। धारा 139, उस अर्थ में, एक विपरीत दायित्व खंड का एक उदाहरण है और अभियुक्त से यह साबित करने की अपेक्षा करता है कि अनुमानित तथ्य का अस्तित्व नहीं है, यानी कि ऋण/दायित्व के निर्वहन में चेक जारी नहीं किया गया था।

प्रमाण और अनुमानों का भार: अवधारणात्मक आधार

29. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (साक्ष्य अधिनियम, इसके बाद) में दो अर्थों में 'साक्ष्य का बोझ' वाक्यांश का उपयोग किया गया है। एक दलील के रूप में उत्पन्न होने वाले सबूत का बोझ है और दूसरा वह है जो इस सवाल से संबंधित है कि किसी विशेष तथ्य को साबित करने के लिए सबसे पहले किसके पास है। पहले वाले को 'कानूनी बोझ' कहा जाता है और यह कभी नहीं बदलता

है, बाद वाले को 'साक्ष्य बोझ' कहा जाता है और यह एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है।
[कुंदनलाल को देखें।

v. अभिरक्षक निकासी संपत्ति (ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1316)]

30. कानूनी बोझ सबूत का बोझ है जो पूरे मुकदमे के दौरान स्थिर रहता है। यह उन तथ्यों और तर्कों को स्थापित करने का बोझ है जो किसी पक्ष के मामले का समर्थन करेंगे। यदि मुकदमे के समापन पर कोई पक्ष इन्हें उचित मानकों पर स्थापित करने में विफल रहा है, तो वह खड़े होने से चूक जाएगा। बोझ की घटना आमतौर पर अभिवचनों से स्पष्ट होती है और आमतौर पर, वादी या शिकायतकर्ता पर यह साबित करना अनिवार्य होता है कि उसने क्या अनुरोध किया या तर्क दिया। दूसरी ओर, साक्ष्य का बोझ स्थानांतरित हो सकता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

जैसे-जैसे किसी विशेष स्तर पर दिए गए साक्ष्य के संतुलन के अनुसार एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर मुकदमा आगे बढ़ता है, बोझ उस पक्ष पर निर्भर करता है जो विफल हो जाएगा यदि कोई सबूत नहीं है, या कोई और सबूत नहीं है, जैसा कि मामला हो सकता है, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है (इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानून, चौथा संस्करण पैरा 13 देखें)। जबकि पूर्व में, अभिवचनों पर उत्पन्न होने वाले कानूनी बोझ का उल्लेख साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 में किया गया है, बाद वाले, साक्ष्य संबंधी बोझ का उल्लेख इसकी धारा 102 में किया गया है। [G.Vasu V.

सैयद यासीन (ए. आई. आर. 1987 ए. पी. 139) भारत बैरल बनाम अमीन चंद
[(1999) 3 एस. सी. सी. 35]

31. दूसरी ओर, अनुमान का शाब्दिक अर्थ है "सच के रूप में लेना"।

बिना जाँच या सबूत के। कुमार एक्सपोटर्स बनाम शर्मा एक्सपोटर्स 9,

इस न्यायालय ने अनुमान को "किन न्यायालयों के उपयोग द्वारा उपकरण" के रूप में संदर्भित किया सक्षम हैं और किसी मुद्दे पर उच्चारण करने के हकदार हैं, इसके बावजूद कि कोई सबूत या असंवेदनशील सबूत नहीं है।"

32. मोटे तौर पर, धारणाएँ दो प्रकार की होती हैं, तथ्य और कानून की धारणाएँ। तथ्य के अनुमान अन्य तथ्यों के अस्तित्व के रूप में एक तथ्य से तार्किक रूप से लिए गए निष्कर्ष हैं। तथ्य के अनुमानों का खंडन इसके विपरीत साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है। कानून के अनुमान या तो निर्विवाद (निर्णायक अनुमान) हो सकते हैं, ताकि इसके विपरीत कोई सबूत नहीं दिया जा सके या खंडन किया जा सके। कानून की एक खंडन योग्य धारणा एक कानूनी नियम है जिसे न्यायालय द्वारा मिश्रित साक्ष्य के अभाव में लागू किया जाना है (हैल्सबरी, चौथा संस्करण पैरा 111, 112)। खंडन योग्य अनुमानों के वर्ग के बीच, विवेकाधीन अनुमानों ('अनुमान लगा सकते हैं') और बाध्यकारी या

अनिवार्य अनुमानों ('अनुमान लगाएंगे') के बीच एक और अंतर किया जा सकता है।[जी. वासु वी. सैयद यासीन

(सुप्रा)]

33. साक्ष्य अधिनियम में अनुमानों का प्रावधान है, जो तीन रूपों में से एक के भीतर फिट बैठते हैं: '(तथ्य का खंडन योग्य अनुमान), (कानून का खंडन योग्य अनुमान) और निर्णायक अनुमान (कानून का निर्विवाद अनुमान) का अनुमान लगा सकते हैं।' अनुमान लगा सकते हैं' और 'अनुमान लगाएंगे' खंडों के बीच अंतर यह है कि, पूर्व के संबंध में, न्यायालय के पास अनुमान लगाने या न लगाने का विकल्प है, लेकिन बाद के मामले में, न्यायालय को अनिवार्य रूप से अनुमान को उठाना चाहिए। अगर किसी मामले में

9 (2009) 2 एससीसी 513 801

राजेश जैन बनाम अजय सिंह [अरविंद कुमार, जे.] 802

न्यायालय के पास अनुमान को उठाने और अनुमान को उठाने का विकल्प है, दो श्रेणियों के अनुमानों के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है और तथ्य को तब तक माना जाता है जब तक कि इसे गलत नहीं माना जाता है, [G.Vasu V. सैयद

यासीन (सुप्रा)]

धारा **139** एन. आई. अधिनियम-प्रभाव अनुमान और प्रमाण की जिम्मेदारी को स्थानांतरित करने का अधिनियम

34. एन. आई. अधिनियम में दो अनुमानों का प्रावधान है: धारा 118 और धारा 139। अधिनियम की धारा 118 अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश देती है कि यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत को विचार के लिए बनाया या तैयार किया गया था। अधिनियम की धारा 139 में कहा गया है कि 'जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, यह माना जाएगा कि चेक धारक को किसी भी ऋण या दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए चेक प्राप्त हुआ है।' यह देखा जाएगा कि 'अनुमानित तथ्य' धारा 138 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक से सीधे संबंधित है। 10.

35. एन. आई. अधिनियम की धारा 139, जो 'अनुमान लगाएंगी' खंड का रूप लेती है, कानून की धारणा का उदाहरण है। क्योंकि धारा 139 में यह अपेक्षा की गई है कि न्यायालय उसमें बताए गए तथ्य को 'मान लेगा', इसलिए न्यायालय पर यह अनिवार्य है कि वह प्रत्येक मामले में इस अनुमान को उठाए जहां अनुमान को उठाने के लिए तथ्यात्मक आधार स्थापित किया गया था। लेकिन यह उस व्यक्ति को इसका खंडन करने और इसके विपरीत साबित करने से नहीं रोकता है जैसा कि वाक्यांश 'के उपयोग से स्पष्ट है जब तक कि

इसके विपरीत साबित होता है '।

36. न्यायालय अनिवार्य रूप से यह मान लेगा कि चेक दो परिस्थितियों में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण/दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। पहला, जब चेक का ड्रॉअर चेक जारी करने/निष्पादन को स्वीकार करता है और दूसरा, उस स्थिति में जब शिकायतकर्ता यह साबित करता है कि ड्रॉअर द्वारा उसके पक्ष में चेक जारी/निष्पादित किया गया था। ऊपर दी गई परिस्थितियाँ उन तथ्यों का निर्माण करती हैं जो सक्रियण लाते हैं।

अनुमानित खंड का। [भारत बैरल बनाम अमीन चंद] [(1999) 3 एस. सी. सी. 35]

10 नीचे चर्चा किए गए नियम धारा 139 और धारा 118 के तहत दोनों अनुमानों के लिए समान हैं और इसलिए, दोहराए नहीं जाते हैं—एक के संदर्भ को दूसरे के संदर्भ में लिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

37. हाल ही में, इस न्यायालय ने इस हद तक अभिनिर्धारित किया है कि यह धारणा ऐसी स्थिति में भी प्रभावी होती है जब अभियुक्त का तर्क है कि उसके द्वारा स्वेच्छा से एक खाली चेक पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे और शिकायतकर्ता को सौंप दिया गया था। [बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार 11]। इसलिए, चेक में पूरी सामग्री के निष्पादन को स्वीकार किए बिना, दराजदार के हस्ताक्षर का केवल प्रवेश, अब अनुमान को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है।

38. जैसे ही शिकायतकर्ता यह साबित करने के लिए बोझ का निर्वहन करता है कि लिखत, जैसे कि एक चेक, अभियुक्त द्वारा ऋण के निर्वहन के लिए जारी किया गया था, अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमानित उपकरण अभियुक्त पर बोझ को स्थानांतरित करने में मदद करता है। अनुमान का प्रभाव, उस अर्थ में, यह साबित करने के लिए कि बैंक द्वारा किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए चेक प्राप्त नहीं किया गया था, अभियुक्त पर साक्ष्य के बोझ को स्थानांतरित करना है। जब तक अभियुक्त द्वारा इस साक्ष्य संबंधी बोझ का निर्वहन नहीं किया जाता है, तब तक शिकायतकर्ता से आगे कुछ करने की अपेक्षा किए बिना, अनुमानित तथ्य को सच मानना होगा।

39. साक्ष्य पर जॉन हेनरी विगमोर **12** इस प्रकार कहता है:

“कानून की धारणा का विशिष्ट प्रभाव केवल कानून के एक नियम का आह्वान करना है जो जूरी को प्रतिद्वंद्वी के विपरीत सबूत के अभाव में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर करता है, लेकिन यदि प्रतिद्वंद्वी इसके विपरीत सबूत देता है (न्यायाधीश की कुछ सबूत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है), तो धारणा कानून के नियम के रूप में गायब हो जाती है और मामला किसी भी नियम से मुक्त जूरी के हाथों में होता है।”

40. इस साक्ष्य के बोझ को पूरा करने के लिए सबूत का मानक उतना भारी नहीं है जितना कि आमतौर पर उन स्थितियों में देखा जाता है जहां अभियोजन पक्ष को किसी आरोपी के अपराध को साबित करने की आवश्यकता होती है। अभियुक्त से उचित संदेह से परे अनुमानित तथ्य के अस्तित्व को साबित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अभियुक्त ने

'संभावनाओं की प्रधानता' के मानक को पूरा करना चाहिए, एक के समान

दीवानी कार्यवाही में प्रतिवादी।[रंगप्पा बनाम मोहन (ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1898)

41. अनुमान का खंडन करने और इसके विपरीत साबित करने के लिए, अभियुक्त के लिए एक संभावित बचाव करने के लिए खुला है जिसमें कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व को चुनौती दी जा सकती है। शब्द 'जब तक

11 (2019) 4 एससीसी 197

12 साक्ष्य के नियम-आधुनिक कानून 803 की छिपी हुई उत्पत्ति

राजेश जैन बनाम अजय सिंह [अरविंद कुमार, जे.] 804

धारा 139 में इसके विपरीत साबित होने का मतलब यह नहीं है कि अभियुक्त को अनिवार्य रूप से नकारात्मक साबित करना चाहिए कि लिखत किसी भी ऋण/दायित्व के निर्वहन में जारी नहीं की गई है, लेकिन अभियुक्त के पास न्यायालय से ऋण/दायित्व के अस्तित्व पर विचार करने के लिए कहने का विकल्प है ताकि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को मामले की परिस्थितियों में इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि

ऋण/देयता मौजूद नहीं थी।[बसलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा (ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 1983) कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कार्पेट्स (2009) 2 एस. सी. सी. 513 भी देखें।

42. दूसरे शब्दों में, अभियुक्त के पास दो विकल्प बचे हैं। यह साबित करने का पहला विकल्प-कि ऋण/देयता मौजूद नहीं है-रक्षा साक्ष्य का नेतृत्व करना और निर्णायक रूप से यह सुनिश्चित करना है कि चेक ऋण/देयता के निर्वहन में जारी नहीं किया गया था। दूसरा विकल्प मामले की विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करके संभावनाओं की अधिकता द्वारा ऋण/देयता के अस्तित्व को साबित करना है। अभियुक्त के मामले के पक्ष में संभावना की प्रधानता एक से उनतालीस तक हो सकती है और मामले की पूरी परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकती है, जिसमें शामिल हैं: मूल शिकायत में शिकायतकर्ता का पक्ष, कानूनी/मांग नोटिस में मामला, मुकदमे में शिकायतकर्ता का मामला, साथ ही जवाब नोटिस में आरोपी की याचिका, उसका 313 बयान या मुकदमे में उन परिस्थितियों के बारे में जिसके तहत वचन पत्र/चेक निष्पादित किया गया था। वे सभी संभावनाओं की एक प्रमुखता को बढ़ा सकते हैं जो इस धारणा को उचित ठहराते हैं कि 'नहीं' था।

ऋण/दायित्व '।[कुमार एक्सपोर्ट्स एंड शर्मा कार्पेट्स, (2009) 2 एससीसी 513]

43. साक्ष्य के बोझ को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति आवश्यक रूप से प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होनी चाहिए, यानी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य या विरोधी पक्ष द्वारा किए गए प्रवेश; इसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य या कानून या तथ्य का अनुमान शामिल हो सकता है।

44. अभियुक्त यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि लिखत ऋण/दायित्व के निर्वहन में जारी नहीं किया गया था और यदि वह स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करता है,

तो भार फिर से शिकायतकर्ता पर स्थानान्तरित हो जाता है। साथ ही, अभियुक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी भरोसा कर सकता है और, यदि परिस्थितियों पर इस तरह भरोसा किया जाता है तो बोझ शिकायतकर्ता पर भी इसी तरह स्थानान्तरित हो सकता है। उसके लिए तथ्य के अनुमानों पर भी भरोसा करना खुला है, उदाहरण के लिए धारा 114 और साक्ष्य अधिनियम की अन्य धाराओं में उल्लिखित। सबूत का बोझ कानून या तथ्य के अनुमानों से बदल सकता है। कुंदनलाल के मामले में- (ऊपर) जब लेनदार अपनी लेखा पुस्तकें पेश करने में विफल रहा था, तो इस न्यायालय ने धारा के तहत तथ्य का अनुमान लगाया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

114, कि साक्ष्य, यदि प्रस्तुत किया जाता है तो यह दर्शाता है कि विचार का अस्तित्व नहीं है। हालाँकि, उस मामले में, यह न्यायालय धारा 118 एन. आई. अधिनियम में अनुमानित खंड पर विचार कर रहा था, क्योंकि धारा 118 और 139 में अनुमानित खंडों की प्रकृति समान है, इसलिए सादृश्य को धारा 139 के संदर्भ में भी बढ़ाया और लागू किया जा सकता है।

45. इसलिए, यह कहा जा सकता है कि एक बार जब अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि संभावनाओं की अधिकता पर शिकायत या मांग नोटिस या एफि-डेविट-साक्ष्य में अनुरोध किए गए तरीके से कोई ऋण/दायित्व मौजूद नहीं है, तो बोझ शिकायतकर्ता पर स्थानान्तरित हो जाता है और धारणा 'गायब' हो जाती है और अब अभियुक्त को परेशान नहीं करती है। अब शिकायतकर्ता के पास स्थानान्तरित होने के बाद, वह ऋण/दायित्व के अस्तित्व को तथ्य के रूप में साबित करने के लिए बाध्य होगा और साबित करने में उसकी विफलता के परिणामस्वरूप उसका शिकायत मामला खारिज हो जाएगा। इसके बाद, धारा 139 के तहत अनुमान फिर से शिकायतकर्ता के बचाव में नहीं आता है। एक बार जब दोनों पक्ष सबूत पेश कर देते हैं, तो अदालत को उस पर विचार करना पड़ता है और सबूत का बोझ अपना सारा महत्व खो देता है।

[बसलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा, ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 1983; यह भी देखें, रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) 11 एस. सी. सी. 441]

हमारा विश्लेषण

46. यह पूर्व-वर्णित कानूनी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या कोई हस्तक्षेप है जिसकी आवश्यकता है। प्वाइंट नं. (1):

47. अभियुक्त ने न तो मांग नोटिस का जवाब दिया है और न ही अपने मामले के समर्थन में कोई खंडन साक्ष्य दिया है। उसके द्वारा स्थापित मामले को प्रतिपरीक्षा के दौरान दिए गए सुझावों और Cr.P.C 48 की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान में दिए गए उसके जवाब से लिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता को यह सुझाव दिया गया है कि आरोपी ने उससे कोई ऋण नहीं लिया था। उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि चेक के अपमान पर कोई कानूनी नोटिस जारी नहीं किया गया

था। यह भी सुझाव दिया गया कि शिकायतकर्ता ने एक खाली चेक का दुरुपयोग किया है-उक्त चेक उसकी कर्मचारी गीता सुनार से प्राप्त किया गया है, जो आरोपी की साली भी है। यह सुझाव दिया गया था कि गीता सुनार ने शिकायतकर्ता के साथ कुछ वित्तीय लेनदेन किए थे और उस उद्देश्य के लिए, उसने गीता सुनार से एक खाली चेक (आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित) प्राप्त किया था और इसका दुरुपयोग किया था।

राजेश जैन बनाम अजय सिंह [अरविंद कुमार, जे.] 806

यह 805

यह ध्यान देने योग्य है कि ऊपर उल्लिखित सुझावों को शिकायतकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

49. अपनी प्रतिपरीक्षा में, गीता सुनार (शिकायतकर्ता की ओर से सी. डब्ल्यू. 3 के रूप में जांच की गई) ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने शिकायतकर्ता के साथ मिलीभगत में एक खाली चेक का दुरुपयोग किया है। उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि आरोपी के बहनोई द्वारा उसे एक खाली चेक दिया गया था। 50. Cr.P.C की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान में, अभियुक्त को पहली बार दोषी ठहराने वाली परिस्थिति इस प्रकार थी:

“आपके खिलाफ यह सबूत आया है कि आप अपनी पत्नी, ज्योति के साथ 1-3-14 पर एक हड्डी रोग सर्जन से मिलने गए थे, और पारिवारिक आवश्यकताओं की आवश्यकता के कारण समय-समय पर वहां काम करने वाली ज्योति की बहन गीता सुनार के माध्यम से वादी से दोस्ताना ऋण लिया, और ब्याज के पैसे के साथ-साथ पूरी मूलधन राशि का भुगतान करने का वादा किया, आपको इसके बारे में क्या कहना है?

उन्होंने उक्त सुझाव/प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया:

“मैंने वादी से कुछ पैसे लिए थे।

मैंने वादी से बीस लाख रुपये लिए हैं।”

51. जब उसे बताया गया कि वह कई मौकों पर भुगतान करने के अपने वादे से मुकर गया है और उसने अपना टेलीफोन नंबर बदलकर शिकायतकर्ता से बचने की कोशिश की है, तो आरोपी इस बात से इनकार करता है कि उसने अपना नंबर बदल लिया था।

हालाँकि, वह स्वीकार करता है कि वह एक बार में पूरी राशि का भुगतान नहीं कर सका। उन्होंने आगे कहा कि

वह स्वीकार करता है कि उसने कुछ ब्याज का भुगतान किया था लेकिन शेष राशि का भुगतान नहीं कर सका क्योंकि शिकायतकर्ता हर महीने बकाया राशि में एक लाख रुपये की वृद्धि करेगा और अधिक राशि की मांग कर रहा था। जहाँ तक चेक की वापसी, कानूनी नोटिस और मांग नोटिस का जवाब न देने की परिस्थिति का संबंध है, वह मांग नोटिस प्राप्त करने की बात स्वीकार करता है।

उनका कहना है कि उन्हें अपने चेक के अपमान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उनकी चेक बुक और बैंक पासबुक उनकी साली के घर में रखी गई थी।

52. अभिलेख पर समग्र रूप से विचार करने पर, हम यह मानते हैं कि अभियुक्त द्वारा स्थापित मामला पूरी तरह से विरोधाभासों से भरा हुआ है। अभिलेख पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा स्थापित बचाव में थोड़ी भी विश्वसनीयता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

53. अपने 313 बयानों में, वह 20 लाख रुपये का ऋण लेने और कुछ ब्याज चुकाने की बात स्वीकार करता है, लेकिन शिकायतकर्ता की जिरह में, एक सुझाव दिया जाता है कि आरोपी का शिकायतकर्ता के साथ कोई वित्तीय लेन-देन नहीं था। जबकि अपने 313 बयान में, आरोपी कहता है कि उसकी चेक बुक और पासबुक उसकी साली के घर में रखी गई है, फिर भी, आरोपी की साली गीता सुनार की जिरह में, उस प्रभाव के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया है। वास्तव में, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि उनके बहनोई ने उन्हें कोई खाली चेक दिया था। हम यह मान लेना अत्यधिक अस्वाभाविक मानते हैं कि अभियुक्त अपने हस्ताक्षरित चेक के पत्ते और पासबुक अपनी साली के घर में छोड़ देगा। भले ही उसने ऐसा किया हो, उसकी साली की ओर से शिकायतकर्ता के साथ मिलीभगत करने का कोई कारण या मकसद नहीं है। अभियुक्त ने यह भी नहीं बताया है कि उसने जल्द से जल्द अपना बचाव क्यों नहीं किया है, यानी मांग नोटिस प्राप्त करने के चरण में, भले ही वह अपने 313 बयान में मांग नोटिस प्राप्त करना स्वीकार करता है, फिर भी वह शिकायतकर्ता को अपनी प्रतिपरीक्षा में सुझाव देता है कि कोई कानूनी नोटिस जारी नहीं किया गया था। 'ब्लैंक चेक' के दुरुपयोग के सिद्धांत का सुझाव दिया गया है, लेकिन शिकायतकर्ता और गीता सुनार-सी. डब्ल्यू.-3 दोनों ने इसका खंडन किया है। सी. डब्ल्यू.-3 द्वारा उनके खाली चेक का दुरुपयोग किए जाने के कथित अवैध आचरण पर मुकदमा चलाने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज करके कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

54. शिकायतकर्ता द्वारा स्थापित मामले में कोई संदेह पैदा करने के लिए शिकायतकर्ता से जिरह में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं पाया गया है। कुछ मामूली विसंगतियों के अलावा, शिकायतकर्ता का मामला पूरे समय सुसंगत रहा है जैसा कि शिकायतकर्ता के अवलोकन, मांग नोटिस और साक्ष्य से देखा जा सकता है। वास्तव में, चेक पर हस्ताक्षर विवादित नहीं होने के कारण, और धारा 118 और 139 के तहत अनुमान प्रभावी होने के बाद, शिकायतकर्ता का मामला धारा 138 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक हर घटक को संतुष्ट करता है। बचाव पक्ष का मामला केवल इस मुद्दे तक सीमित था कि क्या चेक ऋण/देयता के निर्वहन में जारी किया गया था। अभियुक्त अपने साक्ष्य के बोझ का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहा है, इस तथ्य को शिकायतकर्ता से कुछ भी अधिक की आवश्यकता के बिना, अनुमान के बल से साबित करने के लिए लेना होगा।

55. जैसा कि अपीलार्थी द्वारा उचित रूप से तर्क दिया गया है, जिस तरह से नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने साक्ष्य की सराहना करने के लिए आगे बढ़े हैं, उसमें एक मौलिक तथ्य है।

राजेश जैन बनाम अजय सिंह [अरविंद कुमार, जे.] 808

रिकॉर्ड में। एक बार धारा 139 के तहत अनुमान लागू होने के बाद, अदालतों को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए था कि चेक वास्तव में ऋण/दायित्व के निर्वहन में जारी किया गया था। तब पूरा ध्यान अनिवार्य रूप से अभियुक्त द्वारा स्थापित मामले पर स्थानान्तरित करना होगा, क्योंकि अनुमान को सक्रिय करने से अभियुक्त पर साक्ष्य का बोझ स्थानान्तरित होने का प्रभाव पड़ता है। जांच की प्रकृति तब यह देखने के लिए होगी कि क्या अभियुक्त ने अनुमान का खंडन करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो अदालत धारा 138 के अन्य घटकों की संतुष्टि के अधीन, उसे तुरंत दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़ सकती है। यदि न्यायालय यह मानता है कि अभियुक्त पर लगाए गए साक्ष्य के बोझ को हटा दिया गया है, तो शिकायतकर्ता से अनुमान की सहायता लिए बिना स्वतंत्र रूप से उक्त तथ्य को साबित करने की अपेक्षा की जाएगी। न्यायालय तब अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर समग्र दृष्टिकोण लेगा और तदनुसार निर्णय लेगा।

56. जिस स्तर पर अदालतों ने निष्कर्ष निकाला कि हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए गए हैं, अदालत को दोनों में से किसी एक की जांच करनी चाहिए थी

प्रश्न (उस तरीके के आधार पर जिसमें अभियुक्त ने खंडन करना चुना है)

अनुमान): क्या अभियुक्त ने यह साबित करने और निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए कोई बचाव साक्ष्य दिया है कि चेक जारी करने के समय कोई ऋण/देयता मौजूद नहीं थी? खंडन साक्ष्य के नेतृत्व के अभाव में जांच में निम्नलिखित शामिल होंगे: क्या अभियुक्त ने 'विशेष परिस्थितियों' का उल्लेख करके संभावनाओं की अधिकता से ऋण/दायित्व की अनुपस्थिति को साबित किया है?

मामले का '?

57. विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण में विकृति उस तरीके से ध्यान देने योग्य है जिस तरह से वह विचारण में एक प्रश्न तैयार करने के लिए आगे बढ़ा। निचली अदालत के अनुसार,

तय किया जाने वाला प्रश्न यह था कि क्या शिकायतकर्ता और विचाराधीन चेक के लिए कानूनी रूप से वैध और लागू करने योग्य ऋण मौजूद है (उदा. सी. डब्ल्यू. आई./ए) उक्त देयता/ऋण के निर्वहन में जारी किया गया था। जब की प्रारंभिक रचना

प्रश्न स्वयं गलत होने के कारण, कोई भी परिणाम सही होने की उम्मीद नहीं कर सकता है। अभियुक्त पर आरोप लगाने के बजाय शिकायतकर्ता पर आरोप लगाया गया है। धारा 139 में अनुमान की प्रकृति और इसके प्रभावी अधिनियम की उचित समझ के अभाव के परिणामस्वरूप एक गलत आदेश पारित किया गया है। 58. आइंस्टीन ने कहा था:

“अगर मेरे पास किसी समस्या को हल करने के लिए एक घंटा होता, तो मैं समस्या के बारे में सोचने में 55 मिनट और समाधान के बारे में सोचने में 5 मिनट बिताता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अतिशयोक्तिपूर्ण भले ही यह ध्वनि हो, माना जाता है कि उन्होंने सुझाव दिया है कि किसी के द्वारा उत्पन्न समाधान की गुणवत्ता सीधे समस्या की पहचान करने की क्षमता के अनुपात में है। एक निश्चित समस्या में अक्सर इसका अपना समाधान होता है।

59. आइंस्टीन के उद्धरण से आकर्षित करते हुए, अगर इस मुद्दे को सावधानीपूर्वक विचार और न्यायिक दिमाग के उपयोग के बाद ठीक से तैयार किया गया होता, और सही तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया होता, तो शायद मुकदमे का परिणाम बहुत अलग होता और यह मुकदमा इस अदालत तक नहीं पहुंच पाता। 60. उच्च न्यायालय के निर्णय पर आते हुए, हम फिर से समझते हैं कि जिस दृष्टिकोण के साथ उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा है, उसमें मौलिक त्रुटि हुई है। विवादित आदेश के पैराग्राफ 6 में, उच्च न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता ने चेक जारी करना साबित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि यह धारणा तत्काल प्रभाव में आ जाएगी। पैराग्राफ 13 में, यह ठीक ही कहा गया है कि इस तरह की धारणा का खंडन करने का भार अभियुक्त पर है। अगले पैराग्राफ में, यह पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से सवाल पूछकर और धारा 313 Cr.P.C के तहत परिस्थितियों को समझाकर अनुमान का खंडन किया है।

61. ऐसी कोई भौतिक परिस्थितियाँ/आधार नहीं है जिसके आधार पर न्यायालय इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचा हो। यह शिकायत में लगाए गए आरोप को नोट करता है कि शिकायतकर्ता ने 01.03.2014 पर और उसके बाद कई तारीखों पर ऋण दिया था। इस कथन के आधार पर, उच्च न्यायालय ने

चौंकाने वाला निष्कर्ष निकालता है कि: “यदि शिकायतकर्ता ने विभिन्न तिथियों पर ऋण दिया था, तो उसने कुछ दस्तावेज बनाए रखे होंगे, क्योंकि यह एक बार का ऋण नहीं था, बल्कि मूलधन पर उपार्जित ब्याज के साथ ऋण था।

इस राशि को रु. 6,95,204-बना दिया।” इसलिए, उच्च न्यायालय के अनुसार, ‘ऋण राशि साबित करने का बोझ मुख्य रूप से शिकायतकर्ता पर था’। 62. इस दृष्टिकोण में मूलभूत त्रुटि इस तथ्य में निहित है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को ऋण देने के उसके आरोप का समर्थन करने के लिए शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य की कमी पर सवाल उठाया है, जब उसे इसके बजाय अभियुक्त द्वारा स्थापित मामले से संबंधित होना चाहिए था और क्या उसने यह साबित करके अपने साक्ष्य के बोझ का निर्वहन किया था कि चेक जारी करने के समय कोई ऋण/दायित्व मौजूद नहीं था।

63. 809 के बावजूद, उपरोक्त विश्लेषण में हमें यह निष्कर्ष निकालने में जरा भी संकोच नहीं है कि इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

राजेश जैन बनाम अजय सिंह [अरविंद कुमार, जे.]

कि नीचे की दोनों अदालतों ने समवर्ती रूप से अभियुक्त के पक्ष में निर्णय दिया है। चूँकि हमने बिंदु नहीं का उत्तर दिया है: (i) नकारात्मक में, बिंदु संख्या की जांच करने की आवश्यकता: (ii) उत्पन्न नहीं होता है।

64. इसलिए, हम 2020 के सी. आर. एम.-ए. 01.02.2022 में दिए गए चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए अपील की अनुमति देने के लिए आगे बढ़ते हैं और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत की अनुमति देते हैं और प्रतिवादी को चेक की दोगुनी राशि अर्थात् Rs.13,90,408/- (केवल तेरह लाख नब्बे हजार चार सौ आठ रुपये) के साथ दोषी ठहराते हैं, जिसमें विफल रहने पर उसे एक साल के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान